राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

भोपाल,दिनांक 28/1/12

क्रमांक / राशिकें / ईएण्डआर / 2012 / 1044

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिला—समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः— गैर आवासीय ब्रिज कोर्स केन्द्रों के संचालन के संबंध में।

संदर्भः—इस कार्यालय के पत्र क. 3827 दिनांक 10.5.11 व पत्र क. 6026 दिनांक 6.08 .2011, पत्र क. 8366 दिनांक 15.9.11, पत्र क.8966 दिनांक 30.9.2011 पत्र क.9371 दिनांक 17.10.11, पत्र क. 10403 दिनांक 18.11.11, पत्र क. 10557 दिनांक 22.112011, पत्र क.11452 दिनांक 22.12. 11।

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्रों के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना 2011—12 में शाला से बाहर बच्चों को उम्र के अनुपात अनुसार कक्षा की दक्षताएँ विकसित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने हेतु गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैर आवासीय ब्रिज कोर्स) स्वीकृत किये गये है। वार्षिक कार्ययोजना 2011—12 के लक्ष्य अनुसार संदर्भित निर्देशों के तहत तत्काल गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैर आवासीय ब्रिज कोर्स) 31 जनवरी 2012 तक अनिवार्यतः प्रारंभ किये जावें।

शालाओं में दर्ज बच्चों की सही — सही जानकारी संधारित एवं प्रतिवेदित करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 10557 दिनांक 22.11.2011 द्वारा निर्देश दिये गये थे, जिसमें यह भी निर्देश दिये गये थे कि ऐसा बच्चा जिसका नाम शाला में दर्ज है परन्तु यदि वह बच्चा लगातार एक माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है अथवा तीन माह की औसत उपस्थिति 20 प्रतिशत से भी कम है, तो ऐसे बच्चों के नाम भी शाला से बाहर बच्चों की सूची में सम्मलित कर उनके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इन चिहिन्त बच्चों को गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु गैर आवासीय ब्रिज कोर्स ऐसी बसाहटों में प्रारंभ करे जिन बसाहटों में शाला से बाहर 10 से अधिक बच्चे चिहिन्त किये गये है इन बच्चों को उम्र के अनुपात की कक्षा की दक्षता हासिल किया जाना है इस हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिग दिनांक 24.1.2012 में भी दिशा निर्देश दिये गये है। विगत वर्षों में शाला से बाहर बच्चों को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में समर कैम्प संचालित कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोडा गया था। उसी तरह आगामी शिक्षा सत्र 2012—13 में भी उक्त चिहिन्त शाला से बाहर बच्चों को गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में समर कैम्प माह अप्रैल — मई —जून 2012 में संचालित किया जाकर इन बच्चों को उम्र के अनुपात की कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा इस हेतु वार्षिक कार्य योजना में लक्ष्य प्रस्तावित किया जावे।

वार्षिक कार्ययोजना 2011—12 के लक्ष्य के अनुसार गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने हेतु कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जावे।

अशोक 27.1.12

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क./राशिके/ईएंडआर/2012/1045 भोपाल, दिनांक 28/1/12

प्रतिलिपिः–

1 कलेक्टर समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2 मुख्यकार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु।

3. संयुक्त संचालक; समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र